मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक–एफ–1–17 / 2016 / स्था. / 19 भोपाल,दिनांक 25/07 / 2016

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण मध्यप्रदेश,
निर्माण भवन, भोपाल।

विषयः–मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग सेवा भर्ती नियम में संशोधन बाबत्।

—00—

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भरती तथा सेवा शर्तें नियम, 1972 एवं मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग मुख्य वास्तुविद् संगठन, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती सेवा शर्तें नियम–1977 में जारी किया गया संशोधन दिनांक 15 / 06 / 2016 एवं 22.06.2016 आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है, कृपया संशोधित नियम को विभाग की वेबसाईट पर लोड कराने का कष्ट करें।

25/07/16
(सुनील मड़ावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता लो. नि. वि. भोपाल
आ. क्र. 22869
दि. 27/7/16

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जून 2016—ज्येष्ठ 25, शक 1938

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

क्र. एफ-1-17-2016-स्था.-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) इन नियमों के अधीन अभ्यर्थियों की भर्ती के लिये कोई साक्षात्कार नहीं होगा."

No.F-1-17-2016-Est.-XIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Works Department (Non-Gazetted) Service Recruitment and Conditions Service Rules, 1977, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, for sub-Rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) There shall be no interview for recruitment of candidates under these rules."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. सी. भट्ट, उपसचिव

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्र. एफ 1-17-2016-स्था-उन्नीस.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 244, दिनांक 15 जून 2016 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1972 के स्थान पर मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1977 मुद्रित हो गया है. इसी प्रकार अंग्रेजी में भी 1977 अंकित हो गया है.

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1977 के स्थान पर "मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1972 पढ़ा जावे"

सुनील मड़ावी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बैहर, दिनांक 25 मई 2016

क्र. 10-अ-82-वर्ष 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—परसवाड़ा

(ग) ग्राम—सहेजना

(घ) प.ह.न.—11/40

(ङ) क्षेत्रफल—0.972 हेक्टर.

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245] भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जून 2016—ज्येष्ठ 25, शक 1938

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

क्र. एफ-1-17-2016-स्था.-उन्नीस. —भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग, मुख्य वास्तुविद् संगठन, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) इन नियमों के अधीन अभ्यर्थियों की भर्ती के लिये कोई साक्षात्कार नहीं होगा."

No. F-1-17-2016-Est.-XIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Works Department, Chief Architect's Organisation, Class III (Non-Gazetted) Service Recruitment and Conditions of Service Rules, 1977, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, for sub-Rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) There shall be no interview for recruitment of candidates under these rules."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. सी. भट्ट, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016